

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड  
सहस्रधारा रोड, कुल्हान, देहरादून।

फोन नं० 0135 2608106 फैक्स नं०-2608108

संख्या 7163 / प्रवर्तन/स०सु०/1-8(3)/2017  
सेवा में,

दिनांक 23 दिसम्बर, 2017

- 1- पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून।
- 2- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- आयुक्त, आबकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- महानिदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- आयुक्त, राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, यमुना कॉलोनी, देहरादून।
- 9- कमाण्डेन्ट, सीमा सुरक्षा संगठन, ऋषिकेश जिला-देहरादून।
- 10- रिजनल ऑफिसर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 58/37-बलवीर रोड,  
डालनवाला, देहरादून।

विषय: मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देश दिनांक 24-11-2017 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 6734/स०सु०/प्रवर्तन/1-8(3)/2017 दिनांक 27-11-2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत सचिव, सड़क सुरक्षा समिति के पत्र संख्या-29/2014/CoRS दिनांक 24-11-2017 की प्रति संलग्न कर अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना दिनांक 15-12-2017 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था, परन्तु आतिथि तक सूचना इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हो पाई है।

अतः पुनः अनुरोध है कि कृपया संदर्भित सूचना की अद्यतन स्थिति से 27-12-2017 तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार संकलित सूचना 31-12-2017 तक मा० समिति को प्रेषित की जा सके।

भवदीया,

(सुनीता सिंह)


अपर परिवहन आयुक्त,

उत्तराखण्ड।

संख्या 7163 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1-8(3) / 2017 समदिनांकित

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2— प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन/गृह/लोक निर्माण/शहरी/आबकारी/वित्त/  
शिक्षा/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— सदस्य लीड एजेन्सी, सम्बन्धित विभाग।

  
(सुनीता सिंह)  
अपर परिवहन आयुक्त,  
उत्तराखण्ड।